न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/97/2023	2023/464	26.07.2023	20.11.2024

01. प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर मुख्यालय अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री सतीश पुत्र श्री कन्हैया लाल, मै0 अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर।
02. श्री जगदीश सैनी, मै0 मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 45 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस, **को राजसात करने बाबत।**

उपस्थित:—

1. प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 45 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस, को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ17(2)खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 09.04.2018 की अनुपालना में सुरक्षा पखवाड़ा के तहत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध परिवहन अवैध डम्पिंग प्वाईट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण करने की सूचना मिलने पर जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टॉफ मौके पर पहुंचे। मौके पर श्री सतीश पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी वार्ड नं0 10. नगर, जिला भरतपुर (डिलीवरीमेन), मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर द्वारा राजर्षि कॉलेज, अलवर के गेट पर अवैध डम्पिंग प्वाइंट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण किया जा रहा था। श्री सतीश द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर 17 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। इसी प्रकार श्री जगदीश सैनी पुत्र श्री छोटे लाल सैनी निवासी मालीपुरा मौहल्ला बांदीकुई, जिला दौसा (डिलीवरीमेन), मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर द्वारा कुश मार्ग, अलवर पर अवैध डम्पिंग प्वाईट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा था। श्री जगदीश सैनी द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। इस प्रकार प्रमाणित भण्डारण स्थल से भिन्न स्थान पर गैस सिलेण्डर्स का संग्रहण किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर के 17 एवं मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर के 28 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को मय गैस जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर्स को क्रमशः श्री बीरबल सिंह पुत्र श्री चेतन सिंह मालिक फर्म मै० गोविन्द गैस, अलवर एवं श्री मिश्री लाल गुप्ता पुत्र श्री मुसद्दी लाल गुप्ता कार्यकर्ता फर्म मै० अलवर गैस एजेंसी रामगंज,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अलवर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा एवं फर्द अभिग्रहण अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 45 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक अलवर के अनुसार जांच के दौरान मौके पर श्री सतीश पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी वार्ड नं0 10. नगर, जिला भरतपुर (डिलीवरीमेन), मै० अम्बेश गैस एजेंसी, अलवर द्वारा राजर्षि कॉलेज, अलवर के गेट पर अवैध डम्पिंग प्वाइंट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर वितरण किया जा रहा था। वक्त जांच मौके पर 17 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। वक्त जांच श्री सतीश द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार जांच के दौरान श्री जगदीश सैनी पुत्र श्री छोटे लाल सैनी निवासी मालीपुरा मौहल्ला बांदीकुई, जिला दौसा (डिलीवरीमेन), मै० मॉर्डन गैस एजेंसी, अलवर द्वारा कुश मार्ग, अलवर पर अवैध डम्पिंग प्वाईंट बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा था। मौके पर 28 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुए पाए गए जिनका उपभोक्ताओं में वितरण किया जाना था। श्री जगदीश सैनी द्वारा सिलेण्डर भण्डारण से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। स्पष्ट है कि प्रमाणित भण्डारण स्थल से भिन्न स्थान पर गैस सिलेण्डर्स का संग्रहण किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 45 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 45 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) के भरे सीलशुदा मय गैस, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)